

## राजस्थान सरकार

**निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान**

(जी-३, राजमहल रेजीडेंसी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-०१४१-२२२२४०३)  
dlbrajasthan@gmail.com / dlbbddaa05@gmail.com

क्र मांक : प.१(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/१८/।७५६६

दिनांक : २५/६/१८

—: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ की धारा ३३६ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं मंत्रालयीक संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
१	श्री जितेन्द्र सनाढ़य	कनिष्ठ सहायक	आदेशों की प्रतीक्षा	राजसमन्वय
२	श्री जितेन्द्र सिंह राजावत	फायरमैन	निवाई	भवानीमण्डी

उक्त कर्मचारीयों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिख विभाग को अवगत कराये।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत कराये अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जाये।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी / संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत कराये।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त / किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.१(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/१८/।७५६७-५७९

दिनांक : २५/६/१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशेष सहायक, भा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- सभापति / अध्यक्ष / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी / नगर परिषद / पालिका / राजसमन्वय / निवाई / भवानीमण्डी।
- उपनिदेशक(क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा / उदयपुर / अजमेर।
- संबंधित कर्मचारी
- सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)